

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० अंकित गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूदी, जिला खण्डवा के विरुद्ध कोई विभागीय जांच / लोकायुक्त प्रकरण / न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० अंकित गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूदी, जिला खण्डवा को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न- ANNEXURE "B"

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क्र० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 1224

भोपाल, दिनांक 4 / 8 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा।
04. डॉ० अंकित गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूदी, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

DL

24/8

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

04 AUG 2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्र०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/1049

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

// आदेश //

डॉ० श्रीमती ईरा जोशी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, जूनी, इन्दौर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० श्रीमती ईरा जोशी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, जूनी, इन्दौर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-



4/7/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/1050

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर।
05. डॉ० श्रीमती ईरा जोशी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, जूनी, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



4/7/18

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक / / 2018

//आदेश//

डॉ० राजेश कुमार जर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला धार के विरुद्ध इस विभाग में कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० राजेश कुमार जर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला धार को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

8/11/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क्र०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/721

भोपाल, दिनांक 9/5/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था/सी.एस./2018/270 दिनांक 30.01.2018 के संदर्भ में।
06. डॉ० राजेश कुमार जर्मा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला धार मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

9/5/18

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० रामकुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला छतरपुर के विरुद्ध इस विभाग में कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० रामकुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला छतरपुर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

९२५११/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 696

भोपाल, दिनांक 7 / 5 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5881 दिनांक 06.04.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
04. डॉ० रामकुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

९२५११/-

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /


भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० अंतिम बडोले, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिटोल, जिला झाबुआ के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० अंतिम बडोले, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिटोल, जिला झाबुआ को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 415

भोपाल, दिनांक 21/3/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झाबुआ की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2140 दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में प्रेषित।
04. डॉ० अंतिम बडोले, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिटोल, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० जोया खान, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहपुर, जिला जबलपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० जोया खान, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहपुर, जिला जबलपुर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 413

भोपाल, दिनांक 21/3/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 03.02.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
04. डॉ० जोया खान, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहपुर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

CD 1613

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश